आवंटन–अनुदान सं0–14
लेखाशीर्षक–2515001010021–42

शासकीय पत्र सं0–1 / शा0 / 46 / 2020
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।

कृपया शासनादेश सं0–174 / 33–3–2021–3004 / 2020 दिनांक 12.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–21–मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–42–अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0–**2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0–2500.00 लाख शत–प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

1. आवंटित की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
2. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद से भी न हो जाये, जिससे आवंटित की जा रही धनराशि पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति से बचा जा सके।
4. प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।
5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. आवंटित की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।
7. धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी, जब उसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।
8. धनराशि का आहरण कोषागार से तभी किया जायेगा जब पात्र पंचायतों का चयन सक्षम स्तर से कर लिया जाये।
9. आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण / व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
10. आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
11. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन / दिशा–निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण / सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

12. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश सं0–81 / 2017 / 33–3 –2017–212 / 2017 दिनांक 20.09.2017 एवं शासनादेश सं0–585 / 33–3–2019–212 / 2017टी0सी0 दिनांक 08.03.2019 निर्गत किये गये हैं। इन शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–21–मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत डाला जायेगा।
14. वर्ष 2020–21 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
15. उक्त आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2019 दिनांक 24.03.2019 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–88 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

सं0–1 / शा0 / 46 / 1 / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
6. उपनिदेशक(पं0) / नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. एस0पी0एम0यू0 पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-23/02/2021

प्रेषण संख्या:- 1-541-2020-1-391-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-391-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
21 - मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	250000000 250000000	250000000 250000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	250000000 250000000	250000000 250000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़

(10)

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी